

16/8/2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकील पार्थीगण
उपस्थित। विपार्थीगण अनुपस्थित।
विपार्थीगण के विरुद्ध एडवकीम कार्यवाही
इमल में लाई गई। वकील पार्थीगण
की एडवकीम बहस लुनी गई। मोठे
पर विवाद की स्थिति को मध्यनजर
रखते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी
अंतरिम निषेधाज्ञा 21/11/2019 को मूल
वाद के निह्वारण तक पुष्ट किया गया
है। पत्रावली निर्णय शुभारंभ होकर डाखिल
दफ्तार है। मूल वाद के साथ नल्यी की
जावे। (पुनी)

50

